न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / 26 / 2019

अशोक सिंह पुत्र मूलचन्द, जाति जाट, निवासी सेवर, तहसील व जिला भरतपुर, हाल निवासी पैट्रोल पम्प हीरादास के पीछे, इन्दिरा कॉलोनी भरतपुर।

. **....अपीलान्ट**

बनाम

तहसीलदार भरतपुर।

.......रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तकरण सं0 699 नायब तहसीलदार भरतपुर दिनांक 25.11.2002

उपस्थित :

1. श्री विजय सिंह कुन्तल, अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांक 19.11.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम (मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम) विरुद्ध नामान्तकरण सं0 699 नायब तहसीलदार भरतपुर दि0 25.11.2002 इस आशय की प्रस्तुत की है कि नामान्तकरण सं0 699 वाके ग्राम सेवर कलां दिनांक 25.11.2002 अपीलाण्ट के नाम अशोक सिंह के स्थान पर अशोक कुमार की हद तक खिलाफ कानून मौका व रिकार्ड होने से निरस्तनीय है। अपीलाण्ट का नाम अपीलाण्ट के समस्त दस्तावेजों में व वास्तविकता में अशोक सिंह है, परन्तु तहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट को बिना कोई नोटिस दिए व कोई भी सुनवाई का मौका दिए बिना संपूर्ण रिकार्ड के विपरीत अशोक सिंह के स्थान पर अशोक कुमार कर दिया है जो

गलत है। अपीलाण्ट नामान्तकरण में अपने नाम को अशोक कुमार के स्थान पर अशोक सिंह दुरुस्त करा पाने का अधिकारी है।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील में यह भी निवेदन किया है कि नामान्तकरण सं0 699 में अपना नाम अशोक सिंह के स्थान पर अशोक कुमार होने की उसे कोई जानकारी नहीं थी, किंतु दि0 22.10.2019 को जमाबंदी की नकल प्राप्त कर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की पत्रावली तैयार करने हेतु हलका पटवारी से संपर्क करने पर उक्त जानकारी हुई कि जमाबंदी एवं अपीलाण्ट के अन्य दस्तावेज यथा– पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में दर्ज नाम में भिन्नता है। अपील की देरी को माफ करने के लिये म्याद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 699 में प्रार्थी का नाम अशोक कुमार के स्थान पर अशोक सिंह किए जाने की आज्ञा दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट के योग्य अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बताया कि नामान्तकरण सं0 699 में प्रार्थी का नाम अशोक कुमार दर्ज कर दिया गया है जब कि अपीलान्ट का सही नाम अशोकसिंह पुत्र मूलचन्द है। अपील देरी के सम्बन्ध में उनका कहना है कि अपीलान्ट ने जब क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये जमाबन्दी की नकल ली गई तब उसमें पता लगा कि अपीलान्ट का नाम अशोक कुमार दर्ज कर दिया गया है। जब कि अपीलान्ट के अन्य सभी दस्तावेजात पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में अशोक सिंह पुत्र मूलचन्द दर्ज है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार की जाकर, अपीलान्ट का नाम अशोक कुमार के स्थान पर सही नाम अशोक सिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

राजकीय अभिभाषक ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अपीलान्ट ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होना बताया है। जॉच कराया जाना उचित होगा।

हमने योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रथमतः म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने देरी को माफ करने लिये प्रार्थना पत्र

धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है, जिसके ताईद में शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या नामान्तकरण सं0 699 दि0 25.11.2002 का अवलोकन किया गया। यह नामान्तकरण मृतक मु. रामदेई की विरासत का खोला जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण में अन्य वारिसान के साथ अपीलान्ट का नाम अशोक कुमार पुत्र मूलचन्द दर्ज है। अपीलान्ट का कहना है कि उसका सही नाम अशोक सिंह है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत हायर सैकण्डरी परीक्षा 1982 का प्रमाण पत्र प्रति,आधार कार्ड , पैन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र एवं राज0 मैडीकल काउन्सिल जयपुर रजिस्ट्रेशन (एम.बी.बी.एस.) 1993 की फोटो प्रतियों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात में अपीलान्ट का नाम अशोकसिंह पुत्र मूलचन्द दर्ज है। अपीलाधीन नामान्तकरण में प्रथम दृष्टया लिपिकीय त्रुटि होना प्रतीत होता है। अस्तु नामान्तकरण संख्या सं0 699 रैस्पो0 द्वारा दि0 25.11.2002 में दर्ज अशोक कुमार पुत्र मूलचन्द का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर अशोक सिंह पुत्र मूलचन्द दर्ज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि नामान्तकरण सं0 699 दि0 25.11.2002 सेवर कलां में अशोक कुमार पुत्र मूलचन्द के स्थान पर अशोक सिंह पुत्र मूलचन्द दर्ज किया जावे, शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को सुनाया गया।

(डॉ0 जोगाराम)
जिला कलक्टर
भरतपुर